केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/50651 दिनांक 29.08.2018

सेवा में,

श्री हरदीप जाखड़,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त आपके दिनांक 27.08.2018 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना निम्नांकित है:-

| | |
|---|---|
| बिंदु सं. 1, 2, 3 एवं 4 | आपने अपने आवेदन के माध्यम से हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी आदेश से संबंधित सूचनाएं मांगी है, इस संबंध में उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक अथवा न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर हैं ।<br><br>अतः सुझाव है कि संबंधित राज्य सूचना आयोग में ही आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी आदेशों के संबंध में किसी जन सूचना अधिकारी द्वारा टिप्पणी नहीं की जा सकती । |

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690